4-2-21 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उप। प्रकरण में वकील विपक्षी द्वारा प्रार्थना-पत्र धारा 13 म.वी. के प्रार्थना पत्र का उत्तर प्रस्तुत किया जिसकी प्रति प्रार्थी को दिलाई गई। पक्षों को अवलोकन पत्र के कथन हेतु दि. 11-2-21 को पेश हो।

11-2-21 पत्रावली पेश हुई। वकील परिवार उप। पत्रावली अवलोकन कथन प्रार्थना 18-2-21 को पेश हो।

18-2-21 पत्रावली पेश हुई। वकील परिवार उप। वकील विपक्षी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश किया। पत्रावली आदेश हेतु 4-3-21 को नियत हो।

4-3-21 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रसन्न चन्द्र उप। पत्रावली आदेश प्रार्थना पत्र निर्णय 18-3-21 को पेश हो।

18.3-21, पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारगण उप। प्रार्थना पत्र के क्रम में वकील पक्षकारगण की ओर से कथन सुने गये। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अधि. अधीन होने से खारिज किया जाता है। विपक्षी प्रकरण के निस्तारण तक प्रार्थी पर्याप्त भरण पोषण में प्रदान होकर व्यवस्था के आदेश है।

उपखण्ड अधिकारी 16/3
[illegible]